रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 1994/माघ 13, 1915
No. 56] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 1994/MAGHA 13, 1915

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1994

का०आ० 84(अ).—केनिंग उन्नयन परिषद, डाकघर-केनिंग टाउन, जिला दक्षिण चौबीस परगना, पिन-743329, पश्चिम बंगाल, पंजीकरण सं० 147110145, दिनांक 13-6-1986 के तहत विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन एक पंजीकृत संस्था है।

जबकि, उक्त संस्था 1-7-1990 से 30-12-90 तक की अवधि के लिए प्रपत्र एफ०सी०-3 में विदेशी अभिदाय की प्राप्ति/उपयोग के बारे में सूचना और 1-1-1990 से 31-12-90 की अवधि के लिए प्रपत्र एफ०सी०-9 में विधिवत लेखा परीक्षित विवरण

निर्धारित तरीके और निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करने में असमर्थ रही है जैसा कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 1976 के नियम 4(क) और 8(2) के अधीन अपेक्षित है।

जबकि उक्त संस्था निर्धारित प्रपत्र एफ०सी०-3 में विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम 1976 (25-3-1991 तक यथा संशोधित) के नियम 4(क) और 8(2) में यथा अपेक्षित निर्धारित तरीके और निर्धारित अवधि के भीतर 1-1-1991 से 31-3-92 की अवधि के लिए विदेशी अभिदाय की प्राप्ति/उपयोग की सूचना भेजने में असमर्थ रही है ।

और जबकि उक्त संस्था को उक्त उल्लंघनों के कारण बताने के लिए कई अवसर प्रदान किए गए हैं परन्तु यह संस्था कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रही है।

इसलिए केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था को (उसकी शाखाओं और इकाइयों सहित) से यह अपेक्षा करती है कि वह आगे से किसी भी विदेशी अभिदाय को प्राप्त करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करे ।

[सं० II/21022/8(23)/93-एफ०सी०आर०ए०-I]

वी.एम. एलावादी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 1994

S.O. 84(E).—Whereas Canning Unnayan Parishad, P.O. Canning Town, District South 24 Parganas, Pin 743329. W.B. is an association registered under sub-section (i) of Section 6 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) vide Registration Number 147110145, dated 13-6-1986.

Whereas the said association has failed to furnish intimation of Receipt/ Utilisation of foreign contribution on form FC-3 for the period from 1-7-90 to 31-12-90 and duly audited statement on form PC-9 for the period from 1-1-90 to 31-12-1990 as is required under Rule 4(a) and 8(2) of the FC(R) Rules, 1976 in the prescribed manner and within the prescribed period.

Whereas the said association has failed to furnish intimation of Receipt/ Utilisation of foreign contribution for the period from 1-1-91 to 31-3-92 on the prescribed FC-3 form in the prescribed manner and within the prescribed period as is required under Rule 4(a) and 8(2) of the FC(R) Rules 1976 (as amended upto 25-3-91).

And whereas the said association has been offered several opportunities to explain the reasons for the said violations but the association has failed to furnish any satisfactory explanation.

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (i) of section 6 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 required the said association (including its branches and units) to obtain prior permission of the Central Government before acceptance of any foreign contribution henceforth

[No. II(21022/8(23)/93-FCRA. I]

V. S. AILAWADI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994.